



बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), भागलपुर



कृषि उन्नति योजना अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर लेखापाल, आशुलिपिक-सह-लिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है—

क्र0 सं0	पद का नाम	नियत मानदेय (रु0 में)	पदों की संख्या	उप्र	अनिवार्य योग्यता
01	लेखापाल (आत्मा योजना)	आत्मा मार्गदर्शिका 2025 के अनुसार आलोक में राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार	01	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम)(सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	वाणिज्य में स्नातक की डिग्री एवं लेखा कार्य में 03 वर्ष का अनुभव
02	आशुलिपिक-सह- लिपिक (राज्य स्कीम)	राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार	01	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम)(सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	स्नातक की डिग्री एवं आशु टंकन कार्य में 03 वर्ष का अनुभव के साथ कम्प्यूटर में 06 माह का डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर कार्य में दक्ष।
03	कम्प्यूटर ऑपरेटर (आत्मा योजना)	आत्मा मार्गदर्शिका 2025 के आलोक में राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार	01	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम)(सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	स्नातक की डिग्री के साथ कम्प्यूटर संचालन का पूर्ण ज्ञान। कम्प्यूटर में 01 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य।

नियोजन हेतु सामान्य सूचना—

- एकल पद होने के कारण सभी पद अनारक्षित हैं।
- चयन प्रक्रिया—आवश्यकतानुसार शैक्षणिक योग्यता/दक्षता परीक्षा/कार्यानुभव/साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया का मापदंड जिला चयन समिति के स्तर से निर्धारित किया जाएगा।
- चयन में बिहार राज्य के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा।
- उप्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- अन्य बातें समान रहने पर अधिकतम आयु के अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

- विज्ञापन के अनुसार सभी प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- संविदा पर नियोजन— संविदा पर नियोजन, योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो, तक के लिए किया जाएगा परंतु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को कभी भी सेवाविमुक्त किया जा सकेगा।
- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएँगे और न ही सरकारी सेवको को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएँगे। नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- किसी कर्मी के उपर उनके पूर्व के संस्थानों/विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप/विभागीय कार्रवाई/न्यायालय द्वारा दंडित नहीं की गई हो से संबंधित शपथ—पत्र (पब्लिक नोटरी से शपथ कराकर) योगदान के समय कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय/नियत वेतन देय होगा।
- एकरारनामा एवं नियोजन से संबंधित अन्य सभी शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003 दिनांक 22.01.2021 के अनुरूप मान्य होगा।
- आवेदन पत्र, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों तक / 05 जून, 2025 से दिनांक 19 जून, 2025 को संध्या 05 बजे तक ही प्राप्त किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- आवेदन भेजने का पता — परियोजना निदेशक (आत्मा), कृषि भवन परिसर, तिलकामांडी, भागलपुर, पिन—812001।
- आवेदन पत्र प्रारूप एवं नियोजन कि अन्य शर्तें आत्मा भागलपुर के वेबसाइट www.atmabhagalpur.org.in, bhagalpur.nic.in एवं बामेती के वेबसाइट www.bameti.org पर उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।


 जिला कृषि पदाधिकारी
 —सह—
 परियोजना निदेशक,
 आत्मा, भागलपुर।

 ०५/०६/२५

37

कृषि उन्नति योजना अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर लेखापाल, आशुलिपिक-सह-लिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन के लिए चयन प्रक्रिया का मापदंड जिला चयन समिति के स्तर से निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है—

1. लेखापाल के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों के मेधा सूची का निर्धारण—
अधिकतम अंक— 100

1. शैक्षणिक योग्यता— 85 अंक

(मैट्रिक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + इंटरमीडिएट में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + स्नातक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत / 3) x 0.85

- ## 2. कार्य अनुभव— 10 अंक

3. चयन में बिहार के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को **05 अंक** अतिरिक्त दिया जाएगा।
 4. संबंधित पद के संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक

संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 85 अंक देय होगा। ओ०जी०पी०ए०/सी०जी०पी०ए० वाले अन्यर्थियों का विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत प्राप्तांक की गणना की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक औसत प्रतिशत अंक के लिए 0.85 अंक देय होगा।

ੴ

कार्यअनुभव के लिए अंक का निर्धारण— सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा—

- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 01 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव- 02 अंक
 - निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 02 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव- 04 अंक
 - निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 03 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव- 06 अंक
 - निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 04 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव- 08 अंक
 - निर्धारित अनुभव वर्ष से -¹ अंक

नोट— भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों/संगठनों/वित्त पोषित संस्थाओं यथा आई०सी०ए०आर०, कृषि विज्ञान केन्द्र/आत्मा/कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विष्वविद्यालय/महाविद्यालय आदि में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को ही अनुभव में अधिभार अंक दी जाएगी।

नाएंगा।

24-06-25

जिला कृषि पदाधिकारी

-४-

परियोजना निदेशक,
आत्मा, भागलपुर।

Raj
04/06/15

2. आशुलिपिक-सह-लिपिक के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों के मेधा सूची का निर्धारण—

अधिकतम अंक— 100

1. शैक्षणिक योग्यता— 75 अंक
 (मैट्रिक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत
 प्राप्त कुल अंक प्रतिशत / 3) x 0.75

- ## 2. कार्य अनुभव— 10 अंक

- ### 3. दक्षता जाँच परीक्षा— 10 अंक

- चयन में विहार के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को 05 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा।
 - संबंधित पद के संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक-

ख. कार्यअनुभव के लिए अंक का निर्धारण— सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा—

- निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 01 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव— 02 अंक
 - निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 02 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव— 04 अंक
 - निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 03 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव— 06 अंक
 - निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 04 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव— 08 अंक

- निवारित अनुभव वर्ष से आतिरिक्त 05 पूर्ण वर्ष एवं इससे अधिक का कार्य अनुभव— 10 अंक नोट— भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों/संगठनों/वित्त पोषित संस्थाओं यथा आई0सी0ए0आर0, कृषि विज्ञान केन्द्र/आत्मा/कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विष्वविद्यालय/महाविद्यालय आदि में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को ही अनुभव में अधिभार अंक दी जाएगी।

ग. दक्षता जाँच परीक्षा—

- दक्षता जाँच परीक्षा जिला स्तर पर आत्मा द्वारा आयोजित किया जाएगा।
 - दक्षता जाँच परीक्षा के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित है।
 - उक्त पद के लिए कम्प्युटर संचालन एवं आशुलिपि का ज्ञान आवश्यक है। कम से कम 25 शब्द/मिनट हिन्दी में एवं 30 शब्द/मिनट अंग्रेजी में कम्प्यूटर में टंकण आवश्यक है।
 - आशुलिपि में कम से कम 80 शब्द/मिनट हिन्दी में एवं 100 शब्द/मिनट अंग्रेजी में लेखन ज्ञान आवश्यक है।

०४।०६

—४६—

PG
01106145-

3. कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों के मेधा सूची का निर्धारण—
अधिकतम अंक— 100

 1. शैक्षणिक योग्यता— 75 अंक
(मैट्रिक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + इंटरमीडिएट में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + स्नातक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत / 3) x 0.75
 2. कार्य अनुभव— 10 अंक
 3. दक्षता जाँच परीक्षा— 10 अंक
 4. चयन में बिहार के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को 05 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा।
 5. संबंधित पद के संबंधित कोटि में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक-

संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 75 अंक देय होगा। ओ०जी०पी०ए०/सी०जी०पी०ए० वाले अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत प्राप्तांक की गणना की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक औसत प्रतिशत अंक के लिए 0.75 अंक देय होगा।

ख. कार्यअनुभव के लिए अंक का निर्धारण— सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा—

- 01 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव— 02 अंक
 - 02 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव— 04 अंक
 - 03 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव— 06 अंक
 - 04 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव— 08 अंक
 - 05 पर्ण वर्ष एवं डिससे अधिक का कार्य अनुभव— 10 अंक

नोट- भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों/संगठनों/वित्त पोषित संस्थाओं यथा आई०सी०ए०आर०, कृषि विज्ञान केन्द्र/आत्मा/कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आदि में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को ही अनुभव में अधिभार अंक दी जाएगी।

ग. दक्षता जाँच परीक्षा—

- दक्षता जाँच परीक्षा जिला स्तर पर आत्मा द्वारा आयोजित किया जाएगा।
 - दक्षता जाँच परीक्षा के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित है।
 - उक्त पद के लिए कम्प्युटर संचालन का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। कम से कम 25 शब्द/मिनट हिन्दी (Correct Words) में एवं 30 शब्द/मिनट अंग्रेजी (Correct Words) में कम्प्यूटर में टंकण आवश्यक है।

**परियोजना निदेशक,
आत्मा, भागलपुर।**

(6)

नियोजन हेतु समय सीमा का निर्धारण—

क्र० सं०	कार्य का विवरण	समय सीमा
1	जिला द्वारा विज्ञापन प्रकाशन कराने की तिथि	विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों तक / 05 जून, 2025
2	अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	19 जून, 2025
3	नियोजन हेतु आवश्यकतानुसार दक्षता परीक्षा/कार्य अनुभव/साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कराने की अंतिम तिथि	28 जून, 2025
4	औपबंधिक मेघा सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि	02 जुलाई, 2025
5	आपत्तियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि	04-05 जुलाई, 2025
6	आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि	07-08 जुलाई, 2025
7	चयनित अभ्यर्थियों के योगदान की अंतिम तिथि	15 जुलाई, 2025

नोट:- उपरोक्त तिथि में बदलाव होने पर इसकी सूचना आत्मा भागलपुर के वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

04/06/25

जिला कृषि पदाधिकारी

—सह—

परियोजना निदेशक,

आत्मा, भागलपुर।

04/06/25-

आवेदन का प्रपत्र –

1. पद का नाम —

2. आवेदक का नाम —

3. पिता/पति का नाम—

4. आवेदक का स्थायी पता—

ग्राम/मो०—

पथ/मकान सं०—

पोस्ट—

थाना—

जिला—

राज्य—

पिन कोड सं०—

5. आवेदक का पत्राचार का पता—

ग्राम/मो०—

पथ/मकान सं०—

पोस्ट—

थाना—

जिला—

राज्य—

पिन कोड सं०—

6. आवेदक का जन्म तिथि (10वीं का प्रमाण—पत्र संलग्न करें।)—

7. आवेदक का उम्र (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक) — वर्ष..... माह.....दिन.....

8. शैक्षणिक योग्यता—

9. कार्य अनुभव—

10. आवेदक का लिंग— (महिला/पुरुष)

11. आवेदक का मोबाईल सं०/दूरभाष सं०—

12. आवेदक का ई—मेल आई० डी०—

13. आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर

पास्टपोर्ट साइज
का
स्वअभिप्राणित
फोटो दिएकारे।

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

(सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापंक 1003 दिनांक 22.01.2021 के अधीन)

यह एकरारनामा एवं संविदा के आधार पर चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमती के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है :-

1. यह नियोजन केवल (पद का नाम) के लिए किया गया है।
2. यह नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापंक 1003 दिनांक 22.01.2021 में निहित प्रक्रिया, मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा अनुमान्य सुविधाओं के अधीन संविदा के आधार पर किया जा रहा है।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/श्रीमती/सुश्री को रु0 (..... रुपये) एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित व्यक्ति, नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार दो विकल्प दे सकते हैं, परन्तु इस संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा। नियुक्ति प्राधिकार अवश्यकतानुसार विकल्प से भिन्न, किसी भी अन्य नियोजन स्थल पर नियोजित करने का निर्णय ले सकते हैं।
7. नियोजन के समय नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. संविदा नियोजित कर्मी को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापंक 1003 दिनांक 22.01.2021 में निधारित शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य निष्पादन करना होगा।
9. कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर मूल्यांकन के आधार पर कभी भी सेवा समाप्त किया जा सकता है। यह योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति एवं इसके लिए मिलने वाली राशि पर निर्भर करेगा।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
11. यह एकरारनामा दिनांक से प्रभावी होगा।

(परियोजना निदेशक, आत्मा का हस्ताक्षर)
पूरा नाम

(नियोजित व्यक्ति का हस्ताक्षर)
पूरा नाम
पता

शपथ पत्र प्रारूप

मैं, (नाम), पिता का नाम,
 पूरा पता....., मोबाइल नं० शपथपूर्वक
 कहता/कहती हूँ कि कार्य के दौरान पूर्व के संस्थानों/विभागों/निदेशालयों/
 संगठनों/बोर्ड/निगम आदि के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आरोप मेरे ऊपर नहीं
 लगाया गया है, न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है और न ही मुझे
 इस हेतु संबंधित संस्थान/न्यायालय से दंडित किया गया है।

मेरे द्वारा आवेदन में सम्मिलित सभी प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र वैध हैं। मैं इसकी
 पुष्टि करता/करती हूँ। यदि मेरा कोई भी प्रमाणपत्र/अंकपत्र आत्मा कार्यालय द्वारा
 संबंधित संस्थानों से जाँच कराने के क्रम में अवैध पाया जाता है तो मेरे ऊपर किसी भी
 प्रकार की कार्रवाई करने हेतु आत्मा स्वतंत्र होगा।

नाम —

पूरा पता—

मोबाइल नं०—